B. Com. (HONS)
P2 – A/cs (HONS)
Paper – III BRF
Date – 16.05.2020

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर (मधुबनी)

UNIT – V

TOPIC – FORMATION OF PARTNERSHIP FIRM

REGISTRATION OF PARTNERSHIP FIRM :—

(साझेदारी फर्म का पंजीयन) . भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 से पूर्व भारत में साझेदारी फर्मों के पंजीकरण की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी. परिणामतः किसी तीसरे पक्षकार को साझेदारी का अस्तित्व सिद्ध करना एवं फर्म के [redacted] सभी साझेदारों के विरुद्ध दावा करना कठिन हो जाता था. इसलिए इंग्लैंड की भांति भारत में भी फर्मों का पंजीकरण की भी मांग उठाई गई. ताकि किसी फर्म के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को उसके गठन के संबंध में आवश्यक विवरणी व सूचनाएं उपलब्ध हो सके.

भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में [redacted] पंजीकरण के लिए पूर्ण रूप से साझेदारों की इच्छा पर छोड़ दी गई है कि वे अपनी फर्म का पंजीयन करायें या न करायें. अतः साझेदारी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, बल्कि ऐच्छिक है. परन्तु अपंजीकृत फर्म अनेक असुविधाओं से ग्रस्त रहती है, अतः व्यावहारिक रूप से फर्म का पंजीकृत होना उचित समझा जाता है.

साझेदारी फर्म का पंजीयन कभी भी करवाया जा सकता है. Sec. 58 के अनुसार, नई फर्म ही नहीं बल्कि विद्यमान फर्म अपना पंजीयन करवा सकती है. —

Scanned with CamScanner

इसके अलावा यदि कोई फर्म किसी अनुबंध से उत्पन्न अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में मुकदमा दायर करना चाहती है तो उसे मुकदमा दायर करने से पूर्व अपना पंजीकरण करा लेना आवश्यक है अन्यथा न्यायालय उसके मुकदमे को खारिज कर देगा। यदि फर्म के पंजीयन के बाद उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसका भी पंजीयन [redacted] करवाना पड़ता है, परिवर्तनों का पंजीयन नहीं कराने की स्थिति में फर्म अपंजीकृत ही माना जाएगा और फर्म न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगी।

साझेदारी अधिनियम की धारा 58 एवं 59 में पंजीकरण से संबंधित विधि का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है :—

पंजीकरण के लिए निर्धारित [redacted] शुल्क के साथ निर्धारित फार्म में एक आवेदन पत्र उस राज्य के फर्मों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है, जिसमें फर्म के कारोबार का स्थान स्थित हो, या स्थित करने का प्रस्ताव हो। उक्त आवेदन पत्र पर समस्त साझेदारों का हस्ताक्षर होना चाहिए एवं निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाना चाहिए :—

(i) फर्म का नाम

(ii) फर्म के कारोबार का स्थान या प्रधान स्थान

(iii) फर्म के कारोबार करने के अन्य स्थानों के नाम

(iv) प्रत्येक साझेदार के फर्म [redacted] में शामिल होने की तिथी।

(v) साझेदारों के पूरे नाम व स्थायी पता। तथा

(vi) फर्म की अवधि।

Scanned with CamSc

Sec. 59 के अनुसार, जब रजिस्ट्रार इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त उपबंधों का यथाविधि पालन किया गया है, तो वह उक्त विवरण की प्रविष्टि "फर्मों के रजिस्टर" में कर लेता है और आवेदन पत्र को फाइल में लगा देता है. इस प्रकार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

यदि साझेदारी फर्म के पंजीयन के बाद उपर्युक्त विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना फर्मों के रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए ताकि फर्मों के रजिस्टर में तदनुसार आवश्यक परिवर्तन कर सके. रजिस्ट्रार को निम्नलिखित परिवर्तन से संबंधित विषयों के बारे में सूचना दी जाती है:—

(i) जब पंजीकृत फर्म के पंजीयन के नाम या उसके व्यवसाय के प्रधान स्थान में परिवर्तन हो;

(ii) जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करले, या मृत्यु के कारण फर्म में साझेदार नहीं रहता.

(iii) जब फर्म में नया साझेदार शामिल हो.

(iv) जब किसी अवयस्क व्यक्ति को पंजीकृत फर्म के लाभों में सम्मिलित किया गया हो, तथा

(v) जब फर्म को विघटित कर दी गई हो.

Sec. 70 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति फर्म के पंजीयन के आवेदन-पत्र में या बाद के परिवर्तनों की सूचना में, रजिस्ट्रार को मिथ्या या गलत विवरणी भेजा है व दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन महीने तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

फर्म के पंजीयन कराने से निम्न पक्षकार लाभान्वित होते हैं —

(i) फर्म को लाभ अर्थात् पंजीकृत फर्म अपने साझेदारों के साथ-2 अन्य पंजीकृत फर्मों के पर वाद प्रस्तुत कर सकती है.

Scanned with CamSc

(ii) ग्रहणदाताओं की माँग अर्थात् ग्रहणदाताओं का हित सदैव सुरक्षित रहता है क्योंकि साझेदार दायित्वों से मुक्त नहीं होते हैं।

(iii) साझेदारों की माँग: अर्थात् पंजीकृत फर्म के साझेदार एक दूसरे पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, साथ-ही साथ फर्म पर भी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

(iv) नये साझेदार की माँग अर्थात् पंजीकृत फर्म में जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो अन्य साझेदारों के प्रति उसे भी समान कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है।

(v) फर्म से अलग होने वाले साझेदार की माँग अर्थात् जब पंजीकृत फर्म से कोई साझेदार अलग होता है। तथा अलग होने की सूचना रजिस्ट्रार को दे दी जाती है तो सूचना देने की तिथि से ही वह फर्म के दायित्वों से मुक्त हो जाता है।

———— ^ ————

Scanned with CamSc